




समक्ष न्यायालय-माननीय राजस्व मण्डल ग्वालिचर, मध्यप्रदेश (जबलपुर कैंप)

राजस्व निगरानी क्रमांक...../2018

निगरानी-0015/2019/सिंगरौली/भू.र.

आवेदक

763



बिहारीलाल प्रजापति,

पिता-स्व.समई प्रजापति,

निवासी-ग्राम कटई,

तहसील-सरई,

जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

भ्रनावेदकगण



1. मु. बुधनी बेवा समई प्रजापति,
2. कमला पिता-समई प्रजापति
3. लालाराम पिता-समई प्रजापति
4. मु. निरसिया बेवा सहदेव प्रजापति
5. ठाकुरदीन पिता-स्व.सहदेव प्रजापति
6. मंगला पिता-स्व.सहदेव प्रजापति
7. पन्नालाल पिता-स्व.सहदेव प्रजापति,
8. छोटेलाल पिता-स्व.सहदेव प्रजापति,
9. बुद्धसेन पिता-स्व.सहदेव प्रजापति
10. प्रेमलाल पिता-स्व.सहदेव प्रजापति,  
सभी निवासी- ग्राम कटई,  
तहसील-सरई,  
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

र

के

के

10.

302

भूमि

उसने

देत कर

राजस्व

आवेदक

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-0015/2019/सिंगरौली/भू.रा.

26

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/06/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यह निगरानी मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के प्रकाश में पोषणीय नहीं है अतः आवेदक इस निगरानी को वापस लेकर माननीय उच्च न्यायालय में प्रश्नगत आदेश को विधिवत चुनौती देना चाहता है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी वापस किए जाने का निवेदन किया गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। विचारोपरांत न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा यह निगरानी आवेदक को मूलतः वापस किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	